


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निग. नी संख्या2380/2016जिला.....जयपुर.....

उनवान - नरेश गोलानी (एचयूएफ) जयपुर बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06.07.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राजीव चौधरी-सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वह राजस्थान सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ लेते हुए बकाया/कमी मुद्रांक राशि जमा करा दी गई है एवं उक्त निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहता है इसी स्तर पर विद्वान करना चाहते हैं।</p> <p>उक्त प्रकरण को विद्वानों किए जाने में राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को जरिये विद्वान खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	